


18/10/22

उभयपक्ष के अभिमाख उपा) शर्तों की ओर से श्री भगवती प्रसाद कां एडवोकेट ने बकायतनामा पेश किया जो सामिल पनावली किया गया। शर्तों के अभिमाख ने शर्तों की ओर से एक शाण्ड्य धारा 151 CPC पेश कर नोट प्रेस में इस प्रकरण को लारिब करने हेतु पेश किया है। शर्तों का उक्त शाण्ड्य धारा-151 CPC स्वीकार किया जाकर यह पनावली नोट प्रेस (Not press) में खारिज की जाती है। पनावली फौजदारी शुमा दोष नष्ट से कम की गणार दाखिल इफत है। कोश सुनाया गया।


अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)